

F.No. 11059/01/2016-AIS-III  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions  
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi  
Dated the 20<sup>th</sup> July, 2017

To,

The Chief Secretaries of all the States / UTs

**Subject: Amendment to AIS (PAR) Rules, 2007– reg.**

I am directed to refer to the subject noted above and to say that this Department, vide notification number G.S.R. No. 596(E) dated 16.6.2017, has amended the AIS(PAR) Rules, 2007 (copy enclosed). The amended rules have come into force with effect from 16.06.2017. The said amendments inter alia, provide:-

- (i) mandatory filing of PAR electronically, in order to avoid delays and bring more transparency, with provision for exemption in certain cases.
- (ii) to further clarify the provisions relating to writing of PAR on relinquishment of charge in order to distinguish between cases of superannuation and demitting office.
- (iii) to seek comments of reporting/ reviewing authority even after relinquishing charge/ demitting office on the representation of the officer reported upon.
- (iv) to introduce concept of Competent Authority to decide the representation of the officer reported upon and to define the procedure to be followed.
- (v) procedure to be followed on the representation of the officer reported upon by Referral Board in the cases where the Competent Authority has not seen the work of the officer.
- (vi) PARs not recorded as per the provisions of AIS(PAR)Rules, 2007 to be treated as non est.

2. Since, AIS(PAR) Amendment Rules, 2017 have come into force with effect from 16.6.2017, it is hereby clarified that all the provisions of the amended rules (except those related to consideration of representation of the officer reported upon) shall be applicable for those PARs where the officer to be reported upon has submitted his or her assessment on or after 16.06.2017.

3. Further, the amended AIS (PAR) rules provides for a "competent authority" to consider the representation of the officer reported upon against PAR as explained in newly substituted sub-rules 7 to 7(C). Accordingly, representation against PARs written even prior to 16.6.2017 under AIS(PAR) Rules, 2007, will now be considered by the competent authority as provided in the amended rules, wherever applicable.

4. The aforesaid amended PAR Rules may please be brought to the notice of all the concerned for strict compliance.

Encl: As stated.

  
(Rajesh Kumar Yadav)  
Under Secretary (Services)  
Tele: 011-23094714

Copy to:-

1. Secretaries to the Govt. of India, All Ministries / Departments
2. Joint Secretary(UTS)  
(Shri Hitesh Kumar Makwana),  
MHA, North Block, New Delhi
3. Joint Secretary(Police-I)  
(Shri Kumar Alok),  
MHA, North Block, New Delhi
4. I.G. of Forests  
(Ms. Rekha Pai)  
M/o Environment, Forests and Climate Change  
Paryavaran Bhawan, Jor Bagh, New Delhi.
5. US (EO-PR), DoPT
- ✓ 6. NIC, DOPT (with request to upload letter on the website of the  
Department) .

  
(Rajesh Kumar Yadav)  
Under Secretary (Services)  
Tele: 011-23094714



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 2017/ ज्येष्ठ 26, 1939

No. 494]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 2017/ JYAISTHA 26, 1939

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2017

सा.का.नि. 596(अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा (कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय सेवा (कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) संशोधन नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- अखिल भारतीय सेवा (कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात:-

“(खक) “सक्षम प्राधिकारी” से सेवा के सदस्य को प्रकट की गई कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के विरुद्ध रिपोर्टगत अधिकारी के अभ्यावेदन का विनिश्चय करने के लिए उप नियम 9 के उप नियम (7क) और उप नियम (7ख) में यथा उल्लिखित प्राधिकारी अभिप्रेत है।”

- उक्त नियमों में, नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“4क (1) कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसूची (2) यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्टगत अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और लिखी जाएगी।”

(2) रिपोर्ट करने वाले, पुनर्विलोकन करने वाले और स्वीकार करने वाले प्राधिकारी की टीका-टिप्पणियां, यदि वह सरकारी सेवक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिलेखित की जाएगी।

(3) राजनीतिक कार्यपालक अपनी टीका टिप्पणियां शारीरिक रूप में अभिलिखित कर सकेंगे और इस प्रकार अभिलिखित की गई कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसूची (2) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड की जाएगी :

परंतु कतिपय मामलों में, सरकार के अनुमोदन से और उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट रिपोर्टगत अधिकारी और रिपोर्टकर्ता प्राधिकारियों में से किसी रिपोर्टकर्ता प्राधिकारी अर्थात् समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार रिपोर्ट करने वाले या पुनर्विलोकन या स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा शारीरिक रूप से तैयार की जाएगी और लिखी जाएगी:

परंतु यह और कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन उन मामलों में लिया जाएगा जहां कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए जाने से स्थायी छूट किसी विशिष्ट वर्ग के पदों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के आधारों पर वांछित है।”

4. उक्त नियम के नियम 5 में, -

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उप-नियम (4) के अधीन उपबंधों के रहते हुए, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट तब भी लिखी जाएगी जब या तो ऐसा रिपोर्ट करने वाला या पुनर्विलोकन करने वाला या स्वीकार करने वाला प्राधिकारी, जो सरकारी सेवक है या रिपोर्टगत सेवा का सदस्य पद के भार को (सेवानिवृत्त से भिन्न) त्याग देता है और ऐसे मामले में, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट भरे जाने के लिए साधारण मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 9 में, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के पूरे किए जाने के लिए अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर लिखी जाएगी।”;

(ii) उप-नियम (3) के पहले और दूसरे परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“परंतु वित्तीय वर्ष के दौरान किसी विशिष्ट अवधि के लिए सेवा के किसी सदस्य के संबंध केवल एक रिपोर्ट लिखी जाएगी:

परंतु यह और कि यदि सेवा का सदस्य एक पद से अधिक धारित करता है, तब सरकार रिपोर्ट करने के लिए अथवा पुनर्विलोकन करने के लिए पद (मूल अथवा अतिरिक्त प्रभार) परिलक्षित करेगी”;

(iii) उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3क) सामान्य तौर पर एक व्यक्ति किसी निश्चित समय अवधि के लिए रिपोर्ट करने, पुनर्विलोकन करने अथवा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी की हैसियत में कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट लिखेगा:

परंतु यदि एक से अधिक व्यक्ति किसी निश्चित समय अवधि के लिए सेवा के सदस्य के कार्यनिष्पादन का पर्यवेक्षण करता है तब सरकार सुसंगत मूल्यांकन का पर्याप्त समय पूर्व रिपोर्ट करने अथवा पुनर्विलोकन करने के लिए व्यक्तियों को परिलक्षित करेगी”;

(iv) उप-नियम (7) का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों के, नियम 6 में, उप नियम (4) का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियमों के, नियम 7 में, उप नियम (2) का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियमों के, नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“7क. कतिपय मामलों में रिपोर्ट करने वाला प्राधिकारी, इत्यादि पर प्रतिबंध- नियम 5, 6 और 7 में किसी बात के होते हुए भी, रिपोर्ट करने वाले प्राधिकारी, पुनर्विलोकन करने वाले प्राधिकारी अथवा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट लिखने के लिए वहां सक्षम नहीं होगा जहां सेवा से सेवानिवृत्ति के एक मास

के पश्चात् कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का रिपोर्ट करने वाला प्राधिकारी एक सरकारी सेवक हो, और अन्य मामलों में, इस तारीख के एक मास के पश्चात् जिस पद को वह छोड़ देता है।”

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए:-

(क) किसी मंत्री के बारे में पद को तब छोड़ दिया गया नहीं माना जाएगा यदि वह मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में बना रहता है और उसका विभाग बदल दिया गया हो अथवा मंत्रियों की इस पूर्व परिषद जिसका वह मंत्री था, के ठीक पश्चात् पुनर्गठित मंत्री परिषद में मंत्री बना हुआ हो जिसका वही विभाग हो अथवा विभाग बदल गया हो परंतु यथा-स्थिति प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री पद पर बना रहता है।

(ख) किसी मंत्री के बारे में पद छोड़ दिया गया माना जाएगा, जब नए निर्वाचनों के अनुसरण में एक नई मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन कर दिया गया है, भले ही वह मंत्री जो पूर्व मंत्रिपरिषद का सदस्य था, नई मंत्रिपरिषद में वही अथवा भिन्न विभाग प्राप्त करे।

7ख. कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को मौजूद नहीं के रूप में मानना- ऐसी कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट जिसे इन नियमों के उपबंधों तथा उनके अधीन जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अभिलिखित नहीं किया गया है, को मौजूद नहीं के रूप में माना जाएगा:

परन्तु सरकार के अनुमोदन के बिना शारीरिक रूप से फाइल की गई सभी कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें मौजूद नहीं के रूप में मानी जाएंगी।”

8. उक्त नियमों के, नियम 9 में-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:

“(1) समय ग्रेड तथा सत्यनिष्ठा के मूल्यांकन सहित पूरी वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ऐसे मामलों को छोड़कर जहां इसे शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है, रिपोर्टगत अधिकारी के समक्ष इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रकट किया जाएगा, ताकि रिपोर्टगत अधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत करने में समर्थ बनाया जा सके।”

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:

“(4) स्वीकार करने वाला प्राधिकारी, रिपोर्टगत अधिकारी से टीका टिप्पणियां प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इन्हें पुनर्विलोकन तथा रिपोर्ट करने वाले प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा और टीका टिप्पणियों पर उनके अभिमत मांगेगा तथा रिपोर्ट करने वाले और पुनर्विलोकन करने वाले प्राधिकारी की टीका-टिप्पणियां मांगी जानी अपेक्षित हैं भले ही वे सेवानिवृत्त हो गए हों, पद छोड़ दिया हो या पद त्याग दिया हो, और यदि टीका-टिप्पणियां प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर रिपोर्ट करने वाले और पुनर्विलोकन करने वाले प्राधिकारी की टीका-टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती हैं तो यह माना जाएगा कि रिपोर्ट करने वाले और पुनर्विलोकन करने वाले प्राधिकारी को कोई टीका-टिप्पणियां नहीं करनी है।”

(iii) उप-नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:

“(7) यदि स्वीकार करने वाला प्राधिकारी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में मंत्री के स्तर से नीचे का है तो अभ्यावेदन का विनिश्चय करने वाला सक्षम प्राधिकारी स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के स्तर से एक उच्च स्तर का अधिकारी होगा तथा ऐसे मामलों में स्वीकार करने वाला प्राधिकारी, पुनर्विलोकन करने वाले प्राधिकारी के मत प्राप्त होने से पन्द्रह दिनों के भीतर रिपोर्ट करने वाले प्राधिकारी, पुनर्विलोकन करने वाले प्राधिकारी तथा स्वयं अपने अभिमत सहित रिपोर्टगत अधिकारी की टीका-टिप्पणियां सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा तथा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी की टीका-टिप्पणियां प्राप्त करनी अपेक्षित होगी भले वे सेवानिवृत्त हो गए हों या उन्होंने पद छोड़ दिया हो या उन्होंने पद त्याग दिया हो।

(7क) सक्षम प्राधिकारी, रिपोर्टगत अधिकारी की टीका-टिप्पणियां रिपोर्ट करने वाले प्राधिकारी, पुनर्विलोकन करने वाले प्राधिकारी तथा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के अभिमतों पर विचार करेगा तथा सम्यक्तः विचार करने के

पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी उन्हें स्वीकार कर सकता है और सकारण आदेश के साथ कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को उपांतरित कर सकता है तथा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के अभिमत प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर रिपोर्टगत अधिकारी को अंतिम ग्रेडिंग संसूचित की जाएगी।

(7ख) यदि स्वीकार करने वाला प्राधिकारी राज्य में मंत्री (मुख्यमंत्री सहित) अथवा केन्द्र में मंत्री हो, तो अभ्यावेदन पर विनिश्चय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्वयं स्वीकार करने वाला प्राधिकारी होगा और ऐसे मामलों में स्वीकार करने वाला प्राधिकारी रिपोर्टगत प्राधिकारी की टीका-टिप्पणियों, रिपोर्ट करने वाले प्राधिकारी और पुनर्विलोकन प्राधिकारी के अभिमतों पर विचार करेगा और सम्यक्तः विचार करने के पश्चात्, वह उन्हें स्वीकार कर सकता है और तदनुसार निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को उपांतरित कर सकता है तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारी के अभिमत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर विनिश्चय और अंतिम ग्रेडिंग को रिपोर्टगत प्राधिकारी को संसूचित किया जाएगा और रिपोर्ट करने वाले तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारी की टीका-टिप्पणियों को प्राप्त करना अपेक्षित होगा भले ही वे सेवानिवृत्त हो गए हों अथवा उन्होंने पद छोड़ दिया हो या पद त्याग दिया हो।

(7ग) "यदि रिपोर्टगत अवधि के कार्य को सक्षम प्राधिकारी द्वारा देखा नहीं गया हो, तो अभ्यावेदन को रेफरल बोर्ड के पास भेजा जाएगा।"

(iv) उप-नियम 9 के खंड (क) में "स्वीकार करने वाला प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "स्वीकार करने वाला प्राधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उप-नियम 9 के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा:-

"परन्तु, रिपोर्टगत अधिकारी के कार्य को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं देखे जाने की स्थिति में जब अभ्यावेदन को रेफरल बोर्ड के पास भेजा गया हो, तो रेफरल बोर्ड रिपोर्ट करने वाले अधिकारी, पुनर्विलोकन करने वाले प्राधिकारी और स्वीकार करने वाले प्राधिकारी की टीका-टिप्पणियों के आलोक में रिपोर्टगत अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार करेगा तथा समग्र ग्रेड सहित निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की पुष्टि अथवा उपांतरण करेगा और रेफरल बोर्ड का यह विनिश्चय तथ्यात्मक संप्रेक्षणों एवं तथ्यों संबंधी त्रुटियों दोनों के संबंध में होगा तथा रेफरल बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा और रेफरल बोर्ड के विनिश्चय के प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर रिपोर्टगत अधिकारी को अंतिम ग्रेडिंग की संसूचना दी जाएगी।"

9. उक्त नियम के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"10. मूल्यांकन के विरुद्ध अभ्यावेदन – इन नियमों की कोई भी बात किसी अधिकारी को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 25 के अधीन उपबंध किए गए अनुसार, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में नब्बे दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रपति को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी:

परन्तु, उन मामलों में जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, नब्बे दिनों की उक्त अवधि के भीतर इन नियमों के अधीन अभ्यावेदन प्रस्तुत करना संभव न हो, तो सक्षम प्राधिकारी अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा में छूट प्रदान कर सकेगा।"

[फा. सं. 11059/01/2016-अ.भा.से.-III]

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव (सेवाएं)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि.सं. 197(अ.) 14 मार्च, 2007 की तारीख में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नानुसार संशोधन किए गए थे:-

(i) सा.का.नि. 296(अ.), तारीख 16 अप्रैल, 2007

(ii) सा.का.नि. 256(अ.), तारीख 31 मार्च, 2008

(iii) अधिसूचना सं. 11059/06/2010-अ.भा.से.(III), तारीख 22 दिसम्बर, 2010

(iv) अधिसूचना सं. 11059/03/2012-अ.भा.से.(III), तारीख 19 फरवरी, 2013

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS****(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th June, 2017

**G.S.R. 596(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the State Governments, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Performance Appraisal Report) Rules, 2007, namely:-

1. (1) These rules may be called the All India Services (Performance Appraisal Report) Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the All India Services (Performance Appraisal Report) Rules, 2007 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ba) “competent authority” means the authority as mentioned in sub-rules (7A) and (7B) of rule 9 to decide the representation of the officer reported upon against performance appraisal report disclosed to the member of Service.”.

3. In the said rules, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:-

“4A (1) The performance appraisal report shall be generated and written by the officer reported upon electronically in the form as specified in Schedule 2.

(2) The comments of the reporting, reviewing and accepting authority shall be recorded electronically in case he is a government servant.

(3) The political executives may record their comments manually and the performance appraisal report so recorded shall be uploaded electronically as per time frame specified in Schedule 2:

Provided that in certain cases, with the approval of the Government and for reasons to be recorded in writing, performance appraisal report may be generated and written manually by the officer reported upon and any of the reporting authorities, that is, reporting or reviewing or accepting authority as per the guidelines specified by the Central Government from time to time :

Provided further that prior approval of the Central Government in consultation with Department of Personnel and Training shall be taken in cases where permanent exemption from electronic filing of performance appraisal report is sought on the grounds of national security, etc. for a particular class of posts.”.

4. In the said rules, in rule 5,-

- (i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

“(2) Subject to the provisions of sub-rule (4), a performance appraisal report shall also be written when either the reporting or reviewing or accepting authority who is a government servant or the member of the Service reported upon relinquishes charge (other than retirement) of the post, and, in such a case, the report shall be written within the time frame as specified in Schedule 2 for completion of performance appraisal report in paragraph 9 of general guidelines for filling of the performance appraisal report form.” ;

- (ii) for the first and second provisos to sub rule (3), the following provisos shall be substituted, namely :-

“Provided that only one report shall be written on a member of the Service for a particular period during the course of the financial year:

Provided further that if the member of Service occupies more than one post, the Government shall identify **the post (substantive or additional charge) to report or review, well in advance** of the relevant assessment year.” ;

- (iii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3A) In general one person shall write the performance appraisal reports in the capacity of reporting, reviewing or accepting authority for a given period of time :

Provided that if more than one person supervises the performance of the member of Service for a given period of time, the Government shall identify **the persons to report or review well in advance** of the relevant assessment year.” ;

(iv) sub-rule (7) shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 6, sub-rule (4) shall be omitted.

6. In the said rules, in rule 7, sub-rule (2) shall be omitted.

7. In the said rules, after rule 7, the following rules shall be inserted, namely: -

**“7A. Restriction on reporting authority, etc. in certain cases.** - Notwithstanding anything contained in rules 5, 6 and 7, it shall not be competent for the reporting authority, reviewing authority or accepting authority to write a performance appraisal report where the authority reporting the performance appraisal report is a government servant, after one month of his retirement from service; and in other cases, after one month of the date on which he demits office.

*Explanation.*- For the purposes of this rule,-

(a) a Minister shall not be deemed to have demitted the office if he continues to be a Minister in the Council of Ministers with a different portfolio or in the Council of Ministers immediately reconstituted after the previous Council of Ministers of which he was a Minister with the same or a different portfolio provided the Prime Minister or the Chief Minister, as the case may be, continues in office.

(b) a Minister shall be deemed to have demitted the office where pursuant to fresh elections, a new Council of Ministers has been reconstituted, even if the Minister who was in the earlier Council of Ministers finds a place in the new Council of Ministers with the same or different portfolio.

**7B. Treating performance appraisal report as non-est.** - The performance appraisal report, not recorded in terms of the provisions of these rules and instructions issued thereunder, shall be treated as non-est:

Provided that all the performance appraisal reports filed manually without approval of the Government to do so shall be treated as non-est.”.

8. In the said rules, in rule 9, -

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The full annual performance appraisal report, including the overall grade and assessment of integrity, shall be disclosed electronically to the officer reported upon, after finalisation by the accepting authority except in the cases where it is generated manually, to enable the officer reported upon to represent his case.”;

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(4) The accepting authority shall within fifteen days from the date of receipt of comments from the officer reported upon forward the same to the reviewing and the reporting authority and call for their views on the comments and the comments of reporting and reviewing authority are required to be sought even if they have retired or demitted or relinquished office, and in case the comments of reporting and reviewing authority are not received within fifteen days from the date of receipt, it shall be presumed that reporting and reviewing authority have no comments to offer.”;

(iii) for sub-rule (7), the following sub-rules shall be substituted, namely: -

“(7) If the accepting authority is of a level below the Minister in the State or in the Central Government, then the competent authority to decide the representation shall be one level higher than the accepting authority and in such cases the accepting authority shall forward the comments of the officer reported upon along with the views of the reporting authority, reviewing authority and his own views to the competent authority within fifteen days of receipt of the views of the reviewing authority, and the comments of the accepting authority are required to be sought even if he has retired or demitted or relinquished office.

(7A) The competent authority shall consider the comments of the officer reported upon, the views of the reporting authority, reviewing authority and accepting authority and after due consideration, the competent authority may accept them and modify the performance appraisal report with a speaking order and the final grading shall be communicated to the officer reported upon within fifteen days of receipt of the views of the accepting authority.

(7B) If the accepting authority is the Minister in the State (including the Chief Minister) or the Minister in the Centre, then the competent authority to decide the representation will be the accepting authority himself and in such cases the accepting authority shall consider the comments of the officer reported upon, the views of the reporting authority and the reviewing authority and after due consideration may

accept them and modify the performance appraisal report accordingly and the decision and final grading shall be communicated to the officer reported upon within fifteen days of receipt of the views of the reviewing authority, and the comments of the reporting and the reviewing authority are required to be sought even if he has retired or demitted or relinquished office.

(7C) If the competent authority has not seen the work for the reporting period, the representation shall be referred to the Referral Board.” ;

(iv) in sub-rule (9), in clause (a), for the words “and the accepting authority”, the words “, the accepting authority and the competent authority” shall be substituted;

(v) after clause (b) of sub-rule (9), the following proviso shall inserted, namely: -

“ Provided that where the representation has been sent to the Referral Board when the competent authority has not seen the work of the officer reported upon, the Referral Board shall consider the representation of the officer reported upon in the light of the comments of the reporting authority, the reviewing authority and the accepting authority and confirm or modify the performance appraisal report, including the overall grade and the decision of the Referral Board shall be in respect of both factual observations and errors of facts and the decision of the Referral Board shall be final and the final grading shall be communicated to the officer reported upon within fifteen days of receipt of the decision of the Referral Board.”.

9. In the said rules, for rule 10, the following rule shall be substituted, namely:-

**“10. Memorial against assessment.** - Nothing in these rules shall be deemed to preclude an officer from making a memorial within the period of ninety days to the President on the performance appraisal report, as provided under rule 25 of the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969:

Provided that in cases where due to unavoidable circumstances it is not possible to make a memorial under these rules within the said period of ninety days, the competent authority may relax the timeline for submission of the memorial.”.

[F. No. 11059/01/2016-AIS-III]

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secy. (Services)


**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 197(E), dated the 14th March, 2007 and were subsequently amended as under:-

- (i) G.S.R. 296 (E), dated 16th April, 2007,
- (ii) G.S.R. 256 (E), dated 31st March, 2008,
- (iii) Notification No. 11059/06/2010-AIS(III), dated the 22nd December, 2010,
- (iv) Notification No. 11059/03/2012-AIS(III), dated the 19th February, 2013.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL  
Date: 2017.06.19 18:13:29 +05'30'

Copy to:-

1. Secretaries to the Govt. of India, All Ministries / Departments
2. Joint Secretary(UTS)  
(Shri Hitesh Kumar Makwana),  
MHA, North Block, New Delhi
3. Joint Secretary(Police-I)  
(Shri Kumar Alok),  
MHA, North Block, New Delhi
4. I.G. of Forests  
(Ms. Rekha Pai)  
M/o Environment, Forests and Climate Change  
Paryavaran Bhawan, Jor Bagh, New Delhi.
5. US (EO-PR), DoPT
- ✓ 6. NIC, DOPT (with request to upload letter on the website of the  
Department) .

  
(Rajesh Kumar Yadav)  
Under Secretary (Services)  
Tele: 011-23094714

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**

ज्ञापांक-6/सी.आर.-19/2017 सा.प्र.- 12309 /पटना-15, दिनांक- 22.09.2017

प्रतिलिपि :- बिहार राज्य के सभी भा.प्र.से. के पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को इस आदेश के साथ प्रेषित है कि इसे विभागीय वेबसाईट के नोटिस बोर्ड पर अपलोड किया जाय।

  
22.9.17  
(कन्हैया लाल साह)  
सरकार के अवर सचिव।